



महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर


कार्यालय : फोन : 07682-244442, फ़ैक्स : 07682-244442

निविदा.स. R194

दिनांक 15-5-19

निविदा आमंत्रण सूचना

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर द्वारा रद्दी उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य रद्दी की बिक्री हेतु दिनांक 15.05.2019 से 10.06.2019 सायं 5.00 बजे तक सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 11.06.2019 दोपहर 02.00 बजे निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जावेंगी। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mchhatrasaluniversity.com से भी प्राप्त कर सकते हैं।


कुलसचिव
कुलसचिव

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड
विश्वविद्यालय, -छतरपुर (म.प्र.)

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म0प्र0)

निविदा प्रपत्र का प्रारूप

1. निविदाकर्ता का नाम.....
2. फर्म का नाम.....
3. पंजीयन क्रमांक एवं पता.....
4. कार्य का अनुभव.....
5. अमानत राशि जमा करने का विवरण.....
6. प्रयुक्त/रद्दी उत्तरपुस्तिका की दर.....प्रति किलो
7. अन्य रद्दी की दर..... प्रति किलो

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील मुहर


महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)

क्रमांक/निविदा/R194 /2019

छतरपुर, दिनांक 15.5.19

निविदा की शर्तें

1. निविदा की शर्तें विश्वविद्यालय की बेवसाइड www.mchhatrasaluniversity.com पर देखी जा सकती है निविदा प्रपत्र मूल्य राशि 2000/- रुपये (वापिसी योग्य नहीं) की रसीद संलग्न करें जो कुलसचिव महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है इसके अभाव में निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा कुलसचिव महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम राशि 20,000/- रुपये अमानत राशि का ड्राफ्ट देय होगा।
3. सामग्री तौलने व भरने के पूर्व माल की अनुमानित आधी कीमत व माल उठाने के पूर्व अनुमानित पूरी कीमत या उससे अधिक जैसा भी हो जमा करने होगा।
4. सामग्री के विनष्टीकरण का प्रमाण-पत्र सामग्री उठाने के एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
5. क्रय की गई सामग्री का दुरुप्रयोग किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा, यदि इस बात की शिकायत किसी भी सूत्र से प्राप्त होती है तो अमानत राशि राजसात कर फर्म का नाम काली-सूची (Black List) करने की कार्यवाही की जावेगी।
6. सामग्री तौलने के तुरन्त बाद पूरी राशि जमा कर सामग्री उठानी होगी।
7. सामग्री की तौल धर्मकांटे पर की जावेगी। अन्य किसी प्रकार की तौल मान्य नहीं होगी।


15.5.19
कुलसचिव

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
छतरपुर (म०प्र०)

कुलसचिव

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड
विश्वविद्यालय, -छतरपुर (म.प्र.)